

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 199 वी बैठक दिनांक 16.08.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक,(एमपी) व बीपीसी(एलपी) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री मूल चन्द, उपायुक्त, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री संजय जैन, उपायुक्त, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री हरीन्द्र सिंह, उपायुक्त, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री शक्ति सिंह सिसोदिया, उपायुक्त, जोन-13, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत्त), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री गृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री रामस्वरूप, सहायक नगर नियोजक, जोन-7 जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12 जविप्रा, जयपुर।
10. श्री पी ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री पी प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक मास्टर प्लान प्रकोष्ठ/बीपीसी (एलपी)

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा

199/16.08.2013

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 198 वीं बैठक दिनांक 02.08.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 199 वीं बैठक के आयोजन के समय, बीपीसी (एलपी) की 198 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन थे, जो कि क्रमांक : जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2013/डी-183 दिनांक 16.08.2013 को जारी किये जा चुके हैं।



एजेण्डा

199/16.08.2013

विषय :- सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्या-1

199/16.08.2013 (मा.प्लान/जोन-7)

विषय :- सेक्टर प्लान 56-बी के अनुमोदन बाबत।

सेक्टर प्लान 56-बी जो कि पृथ्वीराज नगर के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं एवं जोन-7 के क्षेत्राधिकार में हैं। प्रकरण विगत बैठक दिनांक 02.08.2013 में स्थगित रखा गया था। इस प्रारूप सेक्टर प्लान में प्रस्तावित अधिकांश सड़कों का मिलान पृथ्वीराज नगर की सड़कों से होता है। इस सेक्टर में जविप्रा के आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/पूर्व/पुनर्वास/2003/डी-210 दिनांक 31.03.04 के अनुसार सेक्टर व्यावसायिक दर्शाया गया है।

अतः विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रारूप सेक्टर प्लान पर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि जोन-7 द्वारा सभी कमिटमेंट्स को 20 दिवस में मानचित्र में दर्शाकर पमाणीकरण कर मास्टर प्लान शाखा को प्रस्तुत करेंगे, जिन्हे समायोजित किया जा सकेगा।

एजेण्डा संख्या-2

199/16.08.2013 (मा.प्लान/जोन-10)

विषय :- सेक्टर प्लान-76 के अनुमोदन बाबत।


प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया व प्रकरण को स्थगित रखा जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-3

199/16.08.2013 (मा.प्लान/जोन-9)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-80 के अनुमोदन बाबत।

यह क्षेत्र जयपुर-सवाईमाधोपुर रेलवे लाईन के उत्तर व टोंक रोड के पश्चिम का क्षेत्र है। एवं उपायुक्त जोन-9 के क्षेत्राधिकार में हैं। इस सेक्टर प्लान में राजस्थान आवासन मण्डल की योजना प्रताप नगर एवं शीको के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र की अधिकांश सड़के विद्यमान है। प्रारूप सेक्टर प्लान में केवल मिसिंग लिंक के प्रस्ताव दिये गये हैं, जो कि अमानीशाह नाले को क्रोस करते हैं। अतः विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :-

—

सेक्टर 80 से संबंधित बिन्दुओं के लिये तीन अधिकारीगण क्रमशः अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), उपायुक्त जोन-9 व अधीक्षण अभियन्ता की समिति का गठन किया जाये जो निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में जाँच कर अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे:-

अमानीशाह नाले की चौड़ाई के संबंध में रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच, नाले के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय, विद्यमान लो-लाईग एरिया, राजकीय भूमि, गैस पाईप लाईन, एच.टी.लाईन के सुरक्षा क्षेत्र व प्रस्तावित मिसिंग सड़क लिंक के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

एजेण्डा संख्या-4

199/16.08.2013 (जोन-11)

विषय :- निजी खातेदारी/विकासकर्ता गोयल एम.आई.टी एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ग्राम बगरूरावान एवं ग्राम महला तहसील सांगानेर एवं मौजमाबाद की एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूट के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार यू-3 (एचआईजेड) में स्थित है, जिसमें एज्यूकेशनल, इन्स्टीट्यूट अनुज्ञेय गतिविधि है। 90-ए की कार्यवाही की जा चुकी है। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :-

(अ) आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में श्री श्याम फिल्मनेन्ट रेस्टोरेन्ट है जिन्हें एन. एच-8 से एन्ट्री प्राप्त है एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में अन्य खातेदारों की भूमि को दक्षिण दिशा में Existing डामर रोड से पहुंच उपलब्ध है जिसे मास्टर विकास योजना-2025 की 30 मीटर रोड प्रस्तावित किया गया है अतः पश्चिम दिशा में भी एन्ट्री हेतु सड़क छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर प्रस्तावित भूमि Zig Zagged है। प्रार्थी की भूमि में से पहले से ही सीसी रोड निर्मित है जो आम रास्ते के रूप में काम आ रही है, इसको चौड़ाई लगभग 4.5 मीटर है जिसे यथावत रखा जावे, इसे बंद नहीं किया जावे।

(ब) मुख्य सड़क पर फ्रन्टेज केवल 40 मीटर है, अतः प्रस्तावित सभी सड़कों का मार्गाधिकार छोड़ते हुए भूमि के पूर्व में सीसी रोड की चौड़ाई छोड़ते हुये मास्टर विकास योजना-2025 की 30 मीटर प्रस्तावित सड़क पर जविप्रा हेतु 5 प्रतिशत (60 x 125 मीटर) सुविधा क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित की गई, जो निःशुल्क जविप्रा को समर्पित करनी होगी।

— 91

एजेण्डा संख्या-5

199/16.08.2013 (जोन-11)

विषय :- निजी खातेदारी/विकासकर्ता मैसर्स शिव शक्ति बिल्ड स्क्वायर प्रा. लि. की अनुमोदित आवासीय योजना 'ऑरिक विला' के ईडब्ल्यू.एस. भूखण्ड रिलीज करने बाबत।

एजेण्डा पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-6

199/16.08.2013 (जोन-12)

विषय :- निजी खातेदारी की वेस्टन ग्रीन आवासीय ग्राम चकबिपचडी व जयभवानीपुरा तहसील जयपुर के अनुमोदन बाबत।

एजेण्डा पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया व विचार विमर्श पश्चात निम्न संशोधनों के साथ संशोधित मानचित्र लिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) योजना में एचटी लाईन के नीचे प्रावधानों के अनुसार निर्धारित दूरी में 'No Construction Zone' दर्शाया जावे।
- (ii) योजना 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण सुविधा क्षेत्र में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 5 प्रतिशत रखा जावे।
- (iii) योजना में 184.21 वर्गगज भूमि Future Ext. हेतु प्रस्तावित है। जिसे योजना का विषय विस्तार नहीं माना जा सकता, अतः इस भूखण्ड को योजना में सम्मिलित करते हुए प्रकरण पुनः बीपीसी (एलपी) के पैरामीटर्स के तहत संशोधित कर बैठक में प्रस्तुत किया जावे।



एजेण्डा संख्या-7

199/16.08.2013 (जोन-12)

विषय :- के. जी. के. रियल एस्टेट की निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 881/2891, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887 व 905 कुल किता 13 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर में अनुमोदित आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) भूखण्ड में प्रस्तावित 9 मीटर सड़क के निर्णय बाबत।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवं यह तथ्य उभरकर सामने आये कि प्रश्नगत भूमि के आस-पास अधिकांश भूमि भी के. जी. के. रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड एवं संबंधित की है एवं बीच में कुछ भूमि अन्य निजी खातेदार की भी है। अतः विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस निजी खातेदारी की भूमि को एप्रोच दिये जाने हेतु इस क्षेत्र का रोड नेटवर्क सम्बन्धित अतिरिक्त आयुक्त एवं उपायुक्त जोन निरीक्षण कर अन्य समीप की भूमि कं प्रकरणों के लिए एप्रोच दिखाते हुये 9 मीटर/9 मीटर सड़क छोड़ने का प्रावधान कर प्रार्थी द्वारा प्लान प्रस्तुत करवायेंगे। चूंकि प्रश्नगत भूमि को एप्रोच मिल रही है। अतः प्रस्तुत प्रकरण को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया प्रस्तुत प्रकरण में 5 प्रतिशत भूमि एचटी लाईन के समीप के 24 मीटर प्रस्तावित सड़क पर सुविधा क्षेत्र हेतु निःशुल्क जविप्रा को समर्पित करनी होगी।

एजेण्डा संख्या-8

199/16.08.2013 (जोन-12)

विषय :- मैसर्स हाईटेक डवलपर्स प्रा. लि. निदेशक श्री अनिल कुमार शर्मा राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 266, 281, 282, 316 कुल किता 4 रकबा 1.558 हैक्टेयर की योजना के अनुमोदन बाबत।

प्रस्तावित योजना मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार यू-2 क्षेत्र में आ रही है। यू-2 क्षेत्र में आवासीय योजना हेतु 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल आवश्यक है। प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल 1.5 हैक्टेयर है, परन्तु यह प्रस्तावित योजना पूर्व में अनुमोदित योजना के भविष्य विस्तार का पार्ट है। अतः पूर्व में अनुमोदित योजना व प्रस्तावित योजना का कुल क्षेत्रफल 10.38 हैक्टेयर हो जाता है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से नये क्षेत्र के लिए टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित मानचित्र लिया जावें।




अतिरिक्त एजेण्डा

199/16.08.2013 (जोन-11)

विषय:- सेक्टर प्लान 51, 52 एवं 53 की 24 मीटर सेक्टर रोड के एलाईमेंट परिवर्तन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि सेक्टर रोड के एलाईमेंट बदलने के संबंध में आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव 26.8.13
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी- 190

दिनांक: 27/8/13

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव 26.8.13
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।